भोपाल हेडलाइंस

RNI: MPHIN/2023/88510

संपादकः- संतोष योगी वर्ष-02 अंक-01 भोपाल, शुक्रवार 02 मई 2025 ईमेलः-santoshyogi755@gmail.com पृष्ठ-8 मूल्य 2 रुपया मो. 9993268143

जय धरणीधर जय नागर धाकड़ समाज

नागर धाकड़ समाज के 51 जोड़ो का अक्षय तृतीया पर आदर्श सामूहिक विवाह सफलता के साथ संपन्न

संतोष योगी की खबर 9993268143

भोपाल हेडलाइन*नागर धाकड़ समाज के 51 जोड़ो का अक्षय तृतीया पर आदर्श सामूहिक विवाह सफलता के साथ संपन्न श्री नागर धाकड़ समाज भोपाल क्षेत्र का 38 वा आदर्श सामूहिक विवाह आयोजन ओबेदुल्लागंज में 25 जोड़ों एवं 26 जोड़े ग्राम बकानिया में 33 वा आयोजन क्षेत्रीय धाकड़ सुधार समिति एवं भोपाल युवा मंडल द्वारा हुए, दोनों जगह के मिला कर भोपाल क्षेत्र में 51 जोड़ो का वैदिक एवं सामाजिक लोकरीति के साथ सम्पन्न हुआ,इस अवसरपर नव दंपतियों को जीवन में पर्यावरण संतुलन हेतु फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाने, साथ में नशा मुक्ति का संकल्प आचार्य जी ने मंच से दिलवाया। यह आयोजन समित अध्यक्ष एडवोकेट श्री शशांक धाकड़ भोपाल (गौहरगंज)की अध्यक्षता में संपन्न किया गया अध्यक्ष ने बताया कि

इस आयोजन को पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली (पर्यावरण प्रेमी) संपन्न कराया गया उन्होंने बूंद बूंद जल बचाने,जल है तो कल है का संदेश निवेदन किया, इस कार्यक्रम में सभी समाज बंधुओ द्वारा भरपूर सहयोग किया गया सभी वरिष्ठ जनों एवं समाज सेवकों का भरपूर सहयोग मिला। इस अवसर पर नव दंपतियों को केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने व्यस्तता होने के कारण ऑनलाइन शुभकामनाएं प्रेषित की साथ में स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा जी और कई सामाजिक,सांस्कृतिक, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, धाकड़ समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुए ,जिसमें मुख्य कार्यकारिणी भोपाल क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मोहन पटेल जी पूर्व अध्यक्ष श्री नारायण पटेल जी श्री अशोक पटेल जी श्री, राज कुमार पटेल,महेश पटेल जी मुख्य कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजेश नागर जी गौरीशंकर नागर जी वरिष्ठ समाज सेवक विजय धाकड़ जी, माखन सिंह जी तहसीलदार साहब का मार्गदर्शन एवं सहयोग मिला इसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय धाकड महासभा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मोना ललित सुस्तानी जी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला इकाई श्रीमती महेश्वरी नागर जी प्रदेश नवनियुक्त अध्यक्ष महिला इकाई श्रीमती विभूति नागर जी पूर्व प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई श्रीमती प्रीति नागर जी उपस्थित रहे । बकानिया ग्राम की नागर धाकड़ आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री केसरी सिंह जी पटेल द्वारा की गई उपाध्यक्ष गुलनारायण नागर पटेल बलदेव सिंह जी रामलाल जी अशोक नागर गुलनारायण जी उमेश जी कैलाश जी अमरसिंह जी सुनील जी मनोहर राजेश हरिओम मनोज नागर सर्वेश नागर गब्बर नागर शैतान नगर दिनेश नागर वृजेश जी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष महोदय ने सभी सामाजिक बंधु संस्थाओं और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सहयोग करने वाले प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त किया।यह समाचार रमेश नागर भोपाल पूजा कैसी हो जाती है द्वारा प्रेषित की गई।

परिवार के सदस्यों की मुस्कान में ही जीवन की प्रसन्नता हैं

भोपाल हेडलाइन आज जहां लोग परिवार , रिश्तेदारों से दूर हो रहे , वही भोपाल में सक्सेना परिवार इस मामले में एक आदर्श उदाहरण हैं, जहां परिवार की चार पीढ़ियों के सदस्य हर महीने किसी एक दिन इक्कठे होकर पारिवारिक किटी का आयोजन करते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य परिवार के वरिष्ठ नागरिकों का आपसी मिलन , बातचीत और विभिन्न गतिविधियों से उनको मानसिक एवं आत्मिक प्रसन्नता प्रदान करना साथ साथ युवा एवं बच्चों को पारिवारिक मूल्यों का महत्व दिखाता है।

संस्कार सेना में जुड़ा एक नया अध्याय बच्चों से प्रताड़ित माता-पिताओं को निशुल्क न्यायिक सेवा के लिए अधिवक्ता टीम तैयार

संतोष योगी की खबर 9993268143

भोपाल हेडलाइन एडवोकेट रानू झरानिया के नेतृत्व में भोपाल न्यायालय से एक अधिवक्ता टीम संस्कार सेना कार्यालय पहुंची संस्कार सेना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जांगड़े एवं राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे ने मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से सभी का स्वागत किया तो सभी ने माता-पिता के सम्मान हेतु संस्कार सेना द्वारा चलाई जा रही मुहिम एवं विचारधारा को स्वीकार करते हुए सदस्यता ली साथ ही आश्वासन दिया कि हमारी पूरी टीम माता-पिता के प्रति युवाओं को जागरूकता के साथ-साथ बच्चों से पीड़ित

माता-पिताओं को निशुल्क कानूनी सलाह देगी इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर उन्हें पूरा इंसाफ दिलाने के लिए निशुल्क कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी । इस मौके पर एडवोकेट विनय दाहिया एडवोकेट अनुराधा पाल एडवोकेट सोनू मेवाड़े एडवोकेट एकलव्य यादव आदि अधिवक्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम पत्रकारों के हित में 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

भोपाल हेडलाइंस 24 से जिला ब्यूरो चीफ जमुना अहरवार केवलारी

सिवनी- अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले जिला इकाइयों के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए प्रत्येक जिले में जिला इकाई के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से 21 सूत्रीय जायज मांगों के लिए मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को हस्तलिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रमजीवी साथियों की जायज लंबित मांगों को लेकर मांग की गई और उल्लेखित मांगों को अविलंब पूरा करते हुए श्रमजीवी पत्रकारों की मांग पर शासन प्रशासन गंभीरता से विचार कर मांगो को परा करने में सहयोग प्रदान करें।

ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एक मात्र प्रतिनिधि संगठन है। जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पंजीकृत है। जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को श्रमजीवी पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन और रैली के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाते हैं, ताकि जनमानस से मान्यता प्राप्त लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को मजबूत करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण हो सके। श्रमजीवी पत्रकारों की भी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार उन पर न केवल सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दें, बल्कि उनका निराकरण भी करें, ताकि वे सहज रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में शासन की मदद कर सकें।

ज्ञापन में मुख्यमंत्री मोहन यादव को याद दिलाते हुए बताया गया है कि आपकी विशेष उपस्थिति (मुख्य आतिथ्य) में पिछले माह 26 व 27 मार्च 2025 को मुरैना में संपन्न संघ के 25 वें त्रिवार्षिक दो दिवसीय प्रांतीय महाधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू करने सहित 6 सूत्रीय मांगपत्र आपको दिया था, जिस पर आपने मांगपत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार

करते हुए शीघ्र ही इस दिशा में हमारे संघ के साथियों के साथ संबंधित अधिकारियों को बिठाकर चर्चा कर स्वीकृत करने का विश्वास दिलाया है। इस अवसर पर महाधिवेशन में मध्यप्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर भी उपस्थित थे। हमें विश्वास है कि 6 सूत्रीय मांगपत्र के साथ ही अन्य मांगों पर भी आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें क्रियान्वित कराने की दिशा में पहल करेंगे।

मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई के समस्त सदस्यों ने एक रैली के रूप में जाकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से उनके अधिनस्थ अधिकारी द्वारा ज्ञापन सौंपा।

मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में 21 सूत्रीय मांगे इस प्रकार हैं..!

पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू करें।

भोपाल के मालवीय नगर स्थित हमारे पत्रकार भवन को जिसे कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने हमसे बिना किसी सूचना के छीन लिया था। वह भूमिं हमें वापस की जाये।

(पत्रकार पेंशन) श्रद्धा निधि योजना में अधिमान्यता होने की शर्त हटाई जाये और उसे आजीवन देने का नियम बनाया जाए। श्रद्धानिधि प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु के बाद यह पेंशन राशि यह श्रद्धानिधि शासकीय कर्मचारियों की ही तरह उनकी विधवा को उनकी मृत्यु तक उपलब्ध कराई जाये।

मध्यप्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार भवन के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जावे।

टोल टेक्स से श्रमजीवी पत्रकारों को मुक्त करने के लिये मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यता कार्ड को भी मान्यता दी जाये।

पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को उत्तरप्रदेश की तर्ज पर निःशुल्क करके सभी पत्रकारों को इसका बिना शर्त लाभ पहुँचाने की योजना घोषित की जाये।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए किसी भी प्रकार की शासकीय कमेटियां बने तो पूर्व की भांति श्रम विभाग से तथा हमारे संगठन मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ से ही नाम मांग कर बनाई जाए, ताकि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमजीवी पत्रकार संगठन के पंजीयन का कोई ओचित्य रह सके। इसके साथ ही अधिमान्यता समितियों का पुर्नगठन कर प्रदेश और संभाग की समितियों में संघ के सदस्यों को ही पूर्व की भांति प्राथमिकता दी जाये।

श्रमजीवी पत्रकारों को बैंकों से जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जाये।

श्रमजीवी पत्रकारों पर पुलिस में किसी भी प्रकार के दर्ज प्रकरणों में ही किसी भी कार्यवाही के पूर्व स्वतः ही प्रकरण सी.आई.डी. को सौंप दिया जाये। सी.आई.डी. की जांच रिपोर्ट के बाद ही अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

श्रमजीवी पत्रकारों के बच्चों को स्कूलों में लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत का प्रावधान किया जाये।

जिला मुख्यालयों के सर्किट हाउसों में श्रमजीवी पत्रकारों को भी विधायक और सांसदों की तरह विश्राम करने का अधिकार दिया जाये।

श्रमजीवी पत्रकारों को आवंटित शासकीय आवासों के रिन्युवल आवंटन की प्रक्रिया से मुक्त किया जाये।

हर जिले में श्रमजीवी पत्रकारों के आवास के लिये रियायती दर पर भूमिं उपलब्ध कराई जाये।

आर.टी.ओ. द्वारा पूर्व की भांति श्रमजीवी पत्रकारों के वाहनों के पंजीयन क्रमांक की एक अलग सीरीज निर्धारित की जाये।

पत्रकार नहीं होते हुए भी कई लोग अपने वाहनों पर प्रेस लिखवा लेते हैं. इसकी कढ़ाई से जाँच हो ताकि फर्जीपन से लोग बाज आ सकें।

कई पत्रकार संगठन अपने सदस्यों को जारी सदस्यता कार्डों पर अधिमान्यता शब्द का उपयोग करते हैं जो सर्वथा अवैध है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाकर उनके पंजीयन निरस्त किये जाएं।

श्रमजीवी पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा जाये ताकि इससे श्रमजीवी पत्रकारों के परिवारों को उपचार सुविधा उपलब्ध हो सके।

जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन लघु एवं मध्यम समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को भी दिये जाये। बड़े अखबारों और लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के साथ भेदभाव खत्म कर विज्ञापन की समान निति अपनाई जाये।

अखबारों के प्रकाशन मुख्यालयों में कार्यरत सहायक सम्पादक, उप सम्पादक जैसे पद पर डेस्क पर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को भी अधिमान्यता की पात्रता देते हुए अधिमान्यता जारी की जाये।

श्रमजीवी पत्रकार को उसके पत्रकार होने के पर्याप्त प्रमाण होने पर जैसे उसके अखबार में छपी उसके नाम की खबरों और जनसंपर्क अधिकारी की अनुशंसा पर ही अधिमान्यता प्रदान की जाये। अखबार मालिकों की अनुशंसा की अनिवार्यता से अधिमान्यता को मुक्त रखा जाये।

श्रमजीवी पत्रकार कल्याण आयोग का सरकार गठन करते हुए श्रमजीवी पत्रकारों एंव जनसंपर्क
विभाग के अधिकारियों को रखा जाय वह अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर निर्णय ले।